/

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम

पंजाब नेशनल बैंक (2016 की सिविल अपील संख्या 11397) 22 फरवरी, 2022

/

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986:धारा 2(1)(घ), 2 (1) (घ) (i), 2 (1) (घ) (ii)-अपीलकर्ता पेशे से एक स्टॉक-ब्रोकर था-वह प्रत्यर्थी बैंक के लिए स्टॉक ब्रोकर के रूप में भी काम कर रहा था-अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी-बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा ली और स्टॉक ब्रोकर के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और लाभ बढ़ाने के लिए समय-समय पर इसे बढ़ाने की भी मांग की-क्या अपीलकर्ता ने 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए प्रत्यर्थी की सेवाओं का लाभ उठाया था और इसलिए वह एक उपभोक्ता नहीं था जैसा कि एस के अंतर्गत परिकल्पना की गई थी।2(1)((घ) अधिनियम-आयोजितःआम तौर पर, "वाणिज्यिक उद्देश्य" को वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यवसाय-से-व्यवसाय लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है और यह कि वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ उत्पन्न करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए-जो प्रासंगिक है वह लेनदेन के लिए प्रमुख इरादा या प्रमुख उद्देश्य है और क्या वह खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन को सुविधाजनक बनाना था-अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच संबंध विशुद्ध रूप से "व्यवसाय से व्यवसाय" संबंध थे-लेनदेन स्पष्ट रूप से "वाणिज्यिक उद्देश्य" के दायरे अंतर्गत आते थे-इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सेवाओं का लाभ विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए लिया गया था-अपीलकर्ता उपभोक्ता नहीं था।2(1)((घ) अधिनियम।

/

/

/

/

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993:संशोधन अधिनियम का उद्देश्य-आयोजितःउन उपभोक्ताओं को, जो स्व-नियोजित हैं, निवारण एजेंसियों के समक्ष शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए, जहां उनके द्वारा विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के लिए खरीदा गया माल किसी भी दोष से पीड़ित है-1993 के संशोधन अधिनियम द्वारा,

जहां तक सेवाओं का संबंध है, जहां भी "किराया" शब्द का उपयोग किया गया था, उसे "किराया या लाभ" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था-1993 के संशोधन अधिनियम द्वारा, जहां तक एस।2(1)(घ) (i) का संबंध है, एक स्पष्टीकरण था

/

/

945 ए.

946 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 5 एस. सी. आर.

बशर्ते कि 'वाणिज्यिक उद्देश्य' में उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से शामिल नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया **:1.1** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम**, 1986** की धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** माल की खरीद से संबंधित है। दो भागों में है।उक्त अधिनियम की धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** एक व्यक्ति जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए कोई वस्तु खरीदता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है**,** या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत **,** वह उक्त अधिनियम की धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** के अर्थ के भीतर उपभोक्ता होगा। इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता भी शामिल है जो ऐसी वस्तुओं को प्रतिफल के लिए खरीदता है**,** जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से वादा किया गया है**,** या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत **,** जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है।हालाँकि**,** उक्त अधिनियम की धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** एक ऐसे व्यक्ति को बाहर करती है जो पुनर्विक्रय या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुएँ प्राप्त करता है।उक्त अधिनियम की धारा **2 (1) (**डी**) (ii)** सेवाओं की भर्ती के संबंध में है।इसके अनुसार**,** 'उपभोक्ता' शब्द का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सेवा को प्रतिफल के लिए काम पर रखता है**,** जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है**,** या स्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत ।इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी भी शामिल था जो उक्त अधिनियम की धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं को काम पर रखता है। **[**पारस **24** और **25] [957-**सी**-**एफ**]**

/

/

/

/

1.2.खामियों को दूर करने और शामिल क्षेत्रों के दायरे को बढ़ाने के लिए, विधायिका ने उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, **1993** द्वारा अधिनियम में कुछ संशोधन किए। उक्त अधिनियम के उद्देश्यों में से एक उपभोक्ता, जो स्व-नियोजित हैं, उन्हें निवारण एजेंसियों के समक्ष शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाना था, जहां उनके द्वारा विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के लिए खरीदा गया माल किसी भी दोष से पीड़ित है।**1993** के संशोधन अधिनियम द्वारा, जहां तक सेवाओं का संबंध है, जहां भी "नियुक्त" शब्द का उपयोग किया गया था, उसे "नियुक्त या लाभ" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था।**1993** के संशोधन अधिनियम द्वारा, जहां तक धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** का संबंध है, इस आशय का एक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था कि 'वाणिज्यिक उद्देश्य' में उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए और उपयोग किए गए सामान का उपयोग विशेष रूप से ए के उद्देश्य के लिए शामिल नहीं है।

/

/

/

947

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक ए

स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करना।**[**पारस **27** और **28] [958-**ए-बी, ई-एफ**]**

1.3 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा, विधायिका ने दो काम किए हैं।सबसे पहले, इसने वाणिज्यिक लेन-देन को, जहां तक सेवाओं का संबंध है, 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर रखा है और इसे धारा **2 (1) (**डी**) (**आई**)** के साथ समानता में लाया है, जिसमें एक व्यक्ति, जिसने पुनर्विक्रय के लिए या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदा था, पहले से ही 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर था।दूसरी बात जो विधायिका ने की वह यह थी कि भले ही कोई व्यक्ति वाणिज्यिक सेवाओं का लाभ उठाता हो, यदि उसके द्वारा ली जाने वाली सेवाएं केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से थीं, तो भी वह उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक 'उपभोक्ता' होगा। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाता था, उसे 'वाणिज्यिक उद्देश्य'

शब्द से बाहर रखा जाता था और उसे समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के बराबर लाकर 'उपभोक्ता' के दायरे में लाया जाता था, जिसने विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से सामान खरीदा और उसका उपयोग किया।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायिका का इरादा स्पष्ट है।यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए माल खरीदता है या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाता है, हालांकि सामान्य रूप से, वह स्पष्टीकरण के आधार पर 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर होता है, जो अब दोनों धाराओं **2 (1) (**डी**) (**आई**)** और **2 (1) (**डी**) (**आई**)** के लिए सामान्य है, तो भी वह 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे में आता है, यदि ऐसी वस्तुओं की खरीद या ऐसी सेवाओं का लाभ उठाना विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए था।**[**पैरा **31] [960-**बी-एफ**]**

/

/

/

/

/

2. यह प्रश्न कि क्या कोई लेन-देन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।हालांकि, आम तौर पर, "वाणिज्यिक उद्देश्य" को वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यापार-से-व्यवसाय लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है; कि वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए; कि खरीद करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेनदेन का मूल्य इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है कि -

/

/

चाहे वह किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो या नहीं।जो प्रासंगिक है वह लेन-देन के लिए प्रमुख इरादा या प्रमुख उद्देश्य है और क्या वह खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था।यदि वस्तु या सेवा खरीदने के पीछे प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए था, या अन्यथा किसी वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, तो इस प्रश्न पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद "स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका पैदा करने" के उद्देश्य से थी।**[**पैरा **42] [967-**डी-जी**]3.** वर्तमान मामले में, आयोग इस निष्कर्ष पर

पहुंचा है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बैंक में खाता खोला था, अपने व्यावसायिक लाभ का विस्तार करने के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा ली थी, और बाद में समय-समय पर ओवरड्राफ्ट सुविधा को बढ़ाया गया था ताकि उसके व्यवसाय का और विस्तार किया जा सके और उसके प्रोफ़ेसर को बढ़ाया जा सके।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच संबंध विशुद्ध रूप से "व्यवसाय से व्यवसाय" संबंध है।इस प्रकार, लेन-देन स्पष्ट रूप से 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के दायरे में आएंगे।यह नहीं कहा जा सकता है कि सेवाओं का लाभ "विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" "स्व-रोजगार के माध्यम से" लिया गया था।यदि अपीलार्थी द्वारा दी जाने वाली व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो 'व्यापार से व्यवसाय' विवादों को भी उपभोक्ता विवादों के रूप में समझना होगा, जिससे उपभोक्ता विवादों को त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।इसलिए आयोग के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं है।**[**पारस **47** और **48] [969-**बी**-**ई**]**

/

/

/

/

/

लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम पी. एस. जी. औद्योगिक संस्थान

(1995) 3 एससीसी **583:[1995] 3** एस**.** सी**.** आर**. 174-**पर निर्भर।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम रिजर्व

बैंक ऑफ इंडिया (2020) 10 एससीसी 274:[2020] एससीआर 297;

लीलावती किर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम विशिष्ट शांति

/

डेवलपर्स और अन्य (2020) 2 एस. सी. सी. 265:[2019] 14

एससीआर **563;** पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब और अन्य बनाम एजीएफए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य **(2018) 14** एससीसी **81;** सुनील कोहली और एक अन्य बनाम पुरेर्थ ए

/

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक ए

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2020) 12 एस. सी. सी 235; सी. बी. आई., ए. एच. डी.,

पटना बनाम ब्रज भूषण प्रसाद और अन्य **(2001) 9**

एससीसी 432:[2001] 3 पूरक।एस. सी. आर. 627; चीमा

इंजीनियरिंग सर्विसेज बनाम राजन सिंह **(1997) 1** एस**.** सी**.** सी**. 131:**

[1996] 8 पूरक।एस. सी. आर. 340; कल्पवृक्ष धर्मार्थ

ट्रस्ट बनाम तोशनीवाल ब्रदर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और

/

एक और (2000) 1 एससीसी 512:[1999] 3 पूरक।एस. सी. आर. 619-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2020] 2 एससीआर **297**

पैरा **17** को संदर्भित किया गया

/

[2019] 14 एससीआर **563**

पैरा **17 (i)** को संदर्भित किया गया है

(2018) 14 एस**.** सी**.** सी **81**

पैरा **17 (ii)** को संदर्भित किया गया है

(2020) 12 एससीसी **235**

पैरा **17 (iii) [2001] 3** का उल्लेख किया गया है।पैरा **17 (iv) [1995] 3** एस**.** सी**.** आर**. 174** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 627**

/

पर विश्वास किया

पैरा **32**

[1996] 8 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 340** पैरा **37 [1999] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **38** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 619**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2016 की सिविल अपील सं. 11397।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के 2006 के उपभोक्ता शिकायत संख्या 55 के निर्णय और आदेश से।

/

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री नंदिनी गोरे, सुश्री सोनिया निगम, सुश्री नेहा खंडेलवाल, देवेश भाटिया, सुश्री दामिनी बिष्ट, आदित्य देशमुख, मैसर्स करंजावाला एंड कंपनी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

दुष्यंत दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहित चौधरी, सुश्री पूजा शर्मा, कुणाल सचदेवा, चौधरी जुल्फिकार अली, बलविंदर सिंह सूरी, पारस मित्तल, सुश्री महिमा आहूजा, निमेश जोशी, परवीन कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

/

950

/

[2022] 5 एस सी आर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. अपीलार्थी-शिकायतकर्ता द्वारा दायर वर्तमान अपील 2006 की उपभोक्ता शिकायत संख्या 55 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित 1 जून, 2016 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिससे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत परिकल्पित उपभोक्ता नहीं था।इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, अपीलार्थी की शिकायत को विचारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है।

/

/

2. वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं।वर्तमान अपील के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:3. अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने वर्ष 1998 में पूर्ववर्ती नेदुंगडी बैंक लिमिटेड

(जिसे इसके बाद "पूर्ववर्ती बैंक" के रूप में संदर्भित किया गया है) में एक खाता खोला था। अपीलार्थी पेशे से एक स्टॉक-ब्रोकर है।अपीलार्थी ने अपने दैनिक शेयर और स्टॉक लेनदेन के संबंध में 25 अप्रैल, 1998 को एक ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए आवेदन किया था।यह विवाद में नहीं है कि उक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा को पूर्ववर्ती बैंक द्वारा अपीलार्थी-शिकायतकर्ता को शुरू में 1 करोड़ रुपये की राशि के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने पूर्ववर्ती बैंक द्वारा निर्दिष्ट मार्जिन आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिभूति के रूप में 1 करोड़ रुपये से अधिक के कुछ शेयरों को गिरवी रखा था।इसके बाद, वर्ष 1999 में, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने उक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा को बढ़ाने के लिए आवेदन किया।उक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा को पूर्ववर्ती बैंक द्वारा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया था। 5 करोड़, 13 दिसंबर, 1999 के अपने पत्र के माध्यम से।

/

/

/

4. पुनः, मार्च 2001 में, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने ओवरड्राफ्ट सीमा में अस्थायी वृद्धि के लिए पूर्ववर्ती बैंक से संपर्क किया।पूर्ववर्ती बैंक ने 17 मार्च, 2001 के अपने पत्र के माध्यम से अपीलार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और एक सप्ताह की अवधि के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा को अस्थायी रूप से 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपये कर दिया।

/

5. ऐसा प्रतीत होता है कि शेयर बाजार में भारी गिरावट के कारण, पूर्ववर्ती बैंक ने 16 और 17 मार्च, 2001 के अपने पत्रों में अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता से ओवरड्राफ्ट खाते को नियमित करने के लिए अतिरिक्त शेयरों को गिरवी रखने का आह्वान किया था।एक अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ए

/

951

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक [बी. आर. गवई, जे.] ए.

30 मार्च, 2001 के उनके पत्र के अनुसार, गैर-सूचीबद्ध कंपनी अंसल होटल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "उक्त शेयरों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अंकित मूल्य के Rs.10 इक्विटी शेयरों को बैंक के बकाया के लिए गिरवी रखा गया।यह विवाद में नहीं है कि बाद में, अंसल होटल्स लिमिटेड के आई. टी. सी. लिमिटेड के साथ विलय और आई. टी. सी. शेयरों के बोनस और विभाजन के परिणामस्वरूप, अंसल होटल्स लिमिटेड के उपरोक्त 37,50,000 इक्विटी शेयर आई. टी. सी. लिमिटेड के 3,75,000 शेयरों के बराबर हो गए।

/

6. ऐसा प्रतीत होता है कि 2001 के दौरान, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का ओवरड्राफ्ट खाता अनियमित हो गया और इस प्रकार, पूर्ववर्ती बैंक ने अपीलार्थी-शिकायतकर्ता से ओवरड्राफ्ट खाते को नियमित करने का आह्वान किया।चूंकि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ओवरड्राफ्ट खाते को नियमित करने में असमर्थ था, इसलिए पूर्ववर्ती बैंक ने 14 सितंबर, 2001 के पत्र के माध्यम से अपीलार्थी-शिकायतकर्ता से रु। ब्याज के साथ 600.61 लाख।

/

7. यह अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का मामला है कि हालांकि उन्होंने पूर्ववर्ती बैंक को दिसंबर, 2001 में गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने की सलाह दी थी, ताकि ओवरड्राफ्ट खाता बंद किया जा सके, लेकिन पूर्ववर्ती बैंक ने उस समय उक्त शेयरों को नहीं बेचने का फैसला किया। यह अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का मामला है कि उक्त शेयर नवंबर 2002 में पूर्ववर्ती बैंक द्वारा बेचे गए थे, जब उक्त गिरवी रखे गए शेयरों का बाजार मूल्य सबसे कम था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ था।

/

/

8. गिरवी रखे गए शेयरों का एक हिस्सा रु. 2,69,66,215.79 की राशि में बेचने के बाद, पूर्ववर्ती बैंक के उत्तराधिकारी, प्रत्यर्थी बैंक ने 26 दिसंबर, 2002 को देय शेष राशि की वसूली के लिए अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता के खिलाफ ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष एक वसूली याचिका दायर की।उक्त याचिका पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण, मुंबई ने 26 मई, 2004 के आदेश के माध्यम से फैसला सुनाया था।हालांकि, दोनों पक्षों के बीच मामला सुलझा लिया गया और रुपये के भुगतान पर उनके बीच 'वन टाइम सेटलमेंट' (संक्षेप में 'ओटीएस') हो गया। 2 करोड़।इस प्रकार, प्रत्यर्थी-बैंक ने 14 मई, 2005 को एक 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जारी किया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि अपीलार्थी के ओवरड्राफ्ट खाते पर कोई बकाया नहीं छोड़ा गया था।ओ. टी. एस. के बाद, प्रत्यर्थी-बैंक ने अपीलार्थी के खिलाफ दायर वसूली कार्यवाही को वापस ले लिया।

/

/

9. यह अपीलार्थी का मामला है कि चूंकि प्रत्यर्थी-बैंक अपीलार्थी को उक्त शेयरों को वापस करने में विफल रहा, इसलिए उसने 14 जून, 2005 को प्रत्यर्थी-बैंक को एक नोटिस भेजा, जिसमें उक्त शेयरों को जारी करने की मांग की गई।

/

10. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी-बैंक के स्टॉक-ब्रोकर के रूप में भी काम कर रहा था।एक स्टॉक-ब्रोकर के रूप में अपीलार्थी के साथ लेनदेन के संबंध में, प्रतिवादी-बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (संक्षेप में 'बीएसई') के मध्यस्थता मंच के समक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की थी।अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी-बैंक उक्त मध्यस्थता कार्यवाही में विफल रहा, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है।

/

11. इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।उक्त शिकायत में दावा की गई मुख्य राहत प्रतिवादी-बैंक को आई. टी. सी. लिमिटेड (अंसल होटल लिमिटेड के पहले के 37,50,000 शेयर) के 3,75,000 शेयरों को लाभांश और उस पर सभी परिवर्धन के साथ वापस करने का निर्देश देने के लिए थी।

/

12. उक्त कार्यवाही में, नोटिस दिए जाने पर, प्रत्यर्थी-बैंक ने उक्त शिकायत की रखरखाव के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति जताई, इस आधार पर कि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं था जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत परिकल्पित है। आयोग ने आक्षेपित आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए प्रत्यर्थी-बैंक की सेवाओं का लाभ उठाया था और इस प्रकार, वह उपभोक्ता नहीं था जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत परिकल्पित है।

/

/

13. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

14. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे को सुना है।

/

15. अपीलार्थी-शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का प्रतिवादी-बैंक के साथ दोहरा संबंध था।पहली क्षमता में, एक उपभोक्ता के रूप में, उन्होंने अपने स्व-रोजगार के उद्देश्यों के लिए प्रतिवादी-बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा ली थी।दूसरी क्षमता में, वह प्रतिवादी-बैंक के लिए स्टॉक-ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त संबंध के संबंध में, हालांकि कुछ विवाद थे, बीएसई के मध्यस्थता मंच के समक्ष प्रतिवादी-बैंक के दावे को बीएसई मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसने अंतिमता प्राप्त कर ली है।

/

/

953

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक [बी. आर. गवई, जे.] ए.

/

16. श्री दीवान ने आगे कहा कि यह निर्विवाद है कि उक्त शेयरों को प्रतिवादी-बैंक के साथ केवल ओवरड्राफ्ट सुविधा के प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी-बैंक के 14 मई, 2005 के पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के ओवरड्राफ्ट खाते में कोई बकाया नहीं था, जो पूरी तरह से और अंत में समझौते/ओ. टी. एस. के माध्यम से निपटाया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार जब उक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा के प्रति प्रतिवादी-बैंक का बकाया चुका दिया जाता है, तो प्रतिवादी-बैंक के लिए उक्त शेयरों को रोकने का कोई कारण नहीं है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि पक्षों के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही अंतिम रूप से पहुंच गई थी, लेकिन प्रतिवादी-बैंक ने अपीलार्थी के उक्त शेयरों को अवैध रूप से रोक लिया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त शेयरों को वापस करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उन्हें वापस नहीं किया गया और इसलिए, अपीलार्थी के पास उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

/

/

17. श्री दीवान ने कहा कि यद्यपि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (2) में ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो 'किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है, लेकिन उसके स्पष्टीकरण में, जिसे परंतुक के परंतुक के रूप में समझा जा सकता है, ऐसा व्यक्ति भी शामिल होगा यदि यह दिखाया जाता है कि उसके द्वारा ली गई सेवाएं केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए थीं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि ओवरड्राफ्ट सुविधा की सेवाएं अपीलार्थी द्वारा एक स्टॉक-ब्रोकर

के रूप में अपने व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए प्रतिवादी-बैंक से ली गई थीं।उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलकर्ता स्टॉक-ब्रोकर के पेशे में लगा हुआ था और चूंकि उक्त ओवरड्राफ्ट सुविधा की सेवाएं एक स्टॉक-ब्रोकर के रूप में अपीलार्थी के पेशे के लिए ली गई थीं, इसलिए प्रतिवादी-बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं विशेष रूप से उनकी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए थीं।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता एक स्टॉक-ब्रोकर के रूप में स्व-नियोजित था और इस प्रकार, प्राप्त की गई सेवाएं विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से थीं।वह ब्लैक विधि डिक्शनरी, नौवें संस्करण में दिए गए 'आजीविका' शब्द के शब्दकोश अर्थ पर निर्भर करता है।वे प्रस्तुत करते हैं कि आयोग ने 'स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने' शब्द को सीमित अर्थ देने में घोर गलती की है।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति ने अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए बैंक की सेवाओं का लाभ उठाया है, यह उक्त अवधि को सीमित अर्थ देने का आधार नहीं हो सकता है।के निर्णय पर निर्भर

/

/

/

/

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम के मामले में यह न्यायालय ।

भारतीय रिजर्व बैंक **1,** वह प्रस्तुत करता है कि बैंक की सेवाएं

/

1 (2020) 10 एस. सी. सी. 274

किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे के लिए जीवन रेखा प्रदान करें।वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान युग में, किसी भी व्यक्ति के लिए बैंक की सेवाओं का लाभ उठाए बिना जीवित रहना असंभव है।विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि आयोग ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अपीलार्थी उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (2) के अर्थ के भीतर उपभोक्ता नहीं है। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः

/

(i) लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम। अद्वितीय शांति डेवलपर्स और अन्य **2;**

(ii) पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब और अन्य बनाम ए**.** जी**.** एफ**.** ए**.** इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य **3;**

/

(iii) सुनील कोहली और एक अन्य बनाम प्योरर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड **4;**

((iv) सी**.** बी**.** आई**.,** ए**.** एच**.** डी**.,** पटना बनाम ब्रज भूषण प्रसाद और अन्य **5.**

18. प्रत्यर्थी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे, इसके विपरीत, प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम उपभोक्ता विवादों को त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित एक विशेष क़ानून है।श्री दवे प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम एक संक्षिप्त प्रक्रिया प्रदान करता है ताकि उपभोक्ता विवादों का बिना किसी अनुचित देरी के निपटारा किया जा सके।उन्होंने कहा कि यदि 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा का विस्तार किया जाता है, ताकि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जा सके जो किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है, तो उक्त अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।वह प्रस्तुत करता है कि यदि सेवा प्रदाता और सेवा के प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्ता के बीच किसी भी व्यावसायिक विवाद को 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा में शामिल किया जाता है, तो यह शिकायतों की बाढ़ को जन्म देगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ऐसी व्याख्या को उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (2) के प्रावधानों के साथ असंगत होने के अलावा स्वीकार किया जाता है, तो यह उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर देगा।इसलिए, वह प्रस्तुत करता है कि आयोग के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है और अपील खारिज की जानी चाहिए।

/

/

/

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जो आज भी मौजूद है, जो इस प्रकार हैः

/

2 (2020) 2 एससीसी 265 3 (2018) 14 एससीसी 81 4 (2020) 12 एससीसी 235 5 (2001) 9 एससीसी 432 ए

/

“2. परिभाषा.- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

(अ)।

(घ) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो-(i) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत कोई भी वस्तु खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है; या

/

/

((ख) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसका भुगतान या वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है या उसका लाभ उठाता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान या वादे के लिए सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, या आंशिक रूप से भुगतान और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत , जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है।

/

/

स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए और उपयोग किए गए माल का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।

/

20. इसलिए, वर्तमान मामले में जिस संक्षिप्त प्रश्न का उत्तर देना होगा, वह यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी-बैंक से ली गई सेवाएं 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द के अंतर्गत आती हैं। एक अन्य प्रश्न जिसका उत्तर भी दिया जाना है, वह यह है कि क्या ऐसी सेवाओं का लाभ विशेष रूप से अपीलार्थी द्वारा स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए लिया जाता है।

/

/

956

/

[2022] 5 एस सी आर।

21. उक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए, हमें उक्त अधिनियम को लागू करते समय उद्देश्य के साथ-साथ विधायी इतिहास की भी जांच करनी होगी कि धारा 2 (1) (डी) अपने वर्तमान रूप में कैसे आई है।विधायिका ने पाया कि हालांकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न प्रावधान शामिल थे, फिर भी उपभोक्ताओं को शोषण से बचाना और उन्हें मिलावटी और घटिया वस्तुओं और सेवाओं से बचाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आवश्यक हो गया।उपभोक्ता के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था।

/

22. उक्त अधिनियम के 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण' के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे और उससे जुड़े मामलों के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान करने का प्रयास करता है।उक्त अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों में से एक सुनवाई का अधिकार और यह सुनिश्चित करना था कि उचित मंचों पर उपभोक्ताओं के हितों पर उचित विचार किया जाएगा।उपभोक्ता विवादों के त्वरित और सरल निवारण के लिए, जिला, राज्य और केंद्रीय स्तरों पर एक अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई थी।उक्त अधिनियम की प्रस्तावना का उल्लेख करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

/

/

“उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए और उस उद्देश्य के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम। "

/

23. उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) में निहित 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा, जैसा कि 1986 के मूल अधिनियम में मौजूद थी, इस प्रकार हैः

/

“(घ) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो -

(i) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत कोई भी वस्तु खरीदता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तु का कोई भी उपयोगकर्ता शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए या आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन

/

/

इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुएँ प्राप्त करता है; या

((ii) भुगतान किए गए या वादा किए गए या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत किसी भी सेवा को नियुक्त करता है और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान किए गए या वादा किए गए, या आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रूप से वादा किए गए, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत , जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति की मंजूरी से लिया जाता है।

/

24. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) दो भागों में है।उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) माल की खरीद से संबंधित है।एक व्यक्ति जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए कोई वस्तु खरीदता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत , वह उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) के अर्थ के भीतर उपभोक्ता होगा। इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी वस्तुओं का कोई भी उपयोगकर्ता भी शामिल है जो ऐसी वस्तुओं को प्रतिफल के लिए खरीदता है, जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है या आंशिक रूप से वादा किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत , जब ऐसा उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है।हालाँकि, उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) एक ऐसे व्यक्ति को बाहर करती है जो पुनर्विक्रय या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुएँ प्राप्त करता है।25. उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (ii) सेवाओं की भर्ती के संबंध में है।इसके अनुसार, 'उपभोक्ता' शब्द का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सेवा को प्रतिफल के लिए काम पर रखता है, जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या स्थगित भुगतान की किसी भी प्रणाली के अंतर्गत ।इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी भी शामिल था जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाओं को काम पर रखता है।

/

/

/

/

26. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के अनुसार, कथित अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (ii) के अंतर्गत , जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया है, भले ही कोई व्यक्ति जो किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी भी सेवा को नियुक्त करता है, उसे अभी भी 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) ने स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति को 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा है जो पुनर्विक्रय या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करता है।हालाँकि, जहाँ तक सेवाओं की भर्ती का संबंध है, मूल अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

/

/

/

[2022] 5 एस सी आर।

27. विधायिका ने उक्त अधिनियम में विभिन्न कमियों और अपर्याप्तताओं को देखा। इसलिए, इन खामियों को दूर करने और कवर किए गए क्षेत्रों के दायरे को बढ़ाने के लिए, विधायिका ने उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 (इसके बाद "1993 संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा उक्त अधिनियम में कुछ संशोधन किए।उक्त अधिनियम के उद्देश्यों में से एक उपभोक्ता, जो स्व-नियोजित हैं, उन्हें निवारण एजेंसियों के समक्ष शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाना था, जहां उनके द्वारा विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के लिए खरीदा गया माल किसी भी दोष से पीड़ित है।1993 के संशोधन अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (5) द्वारा 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा में निम्नलिखित संशोधन किए गए:“(5) खंड (घ) में -

/

/

(क) उपखंड (ii) में, "नियुक्त" शब्द के लिए, दोनों स्थानों पर जहां यह आता है, "नियुक्त या लाभ" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ख) उपखंड (ii) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में डाला जाएगा, अर्थात्:-

/

‘ स्पष्टीकरण।- उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से शामिल नहीं है।

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 1993 के संशोधन अधिनियम द्वारा, जहां तक सेवाओं का संबंध है, जहां भी "नियुक्त" शब्द का उपयोग किया गया था, उसे "नियुक्त या लाभ" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।उक्त 1993 के संशोधन अधिनियम द्वारा, जहां तक धारा 2 (1) (डी) (आई) का संबंध है, इस आशय का एक स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था कि 'वाणिज्यिक उद्देश्य' में उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए और उपयोग किए गए सामान का उपयोग विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि 1986 के मूल अधिनियम में किसी व्यक्ति को 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया था जब भी ऐसी खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए की गई थी; स्पष्टीकरण द्वारा, जो एक अपवाद के लिए एक अपवाद है, भले ही कोई व्यक्ति 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए खरीदारी करता हो, उसे 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा में शामिल किया गया था, यदि ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदता और

उपयोग करता है।विधायी इरादा स्पष्ट है कि यद्यपि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए खरीदारी उक्त अधिनियम में 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के दायरे से बाहर है, यदि कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को विशेष रूप से अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए खरीदता है और उनका उपयोग करता है।

/

/

/

/

959

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक [बी. आर. गवई, जे.] ए.

स्व-रोजगार के माध्यम से, वह अभी भी उक्त अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा का हकदार होगा।

29. विधायिका ने आगे उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में कई बाधाओं और कमियों को देखा और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटान को प्राप्त करने और विभिन्न कमियों को दूर करके उक्त अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विधायिका ने उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद "2002 संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा उक्त अधिनियम में संशोधन किया।2002 के संशोधन अधिनियम को लाने के उद्देश्यों में से एक "उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के दायरे से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त सेवाओं को बाहर करना" था।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायिका ने इस शरारत को देखा कि हालांकि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए खरीदे गए सामान को अपने दायरे से बाहर रखा, लेकिन उक्त प्रतिबंध उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) में नहीं पाया गया। इस प्रकार, धारा 2 (1) (डी) (आई) को धारा 2 (1) (डी) (आई) के बराबर लाने के लिए, खंड (डी) में निम्नलिखित संशोधन किया गया थाः“(ग) खंड (घ) में -

/

/

/

((i) उपखंड (ii) के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएँगे, अर्थात्ः-

“लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है।

/

((ख) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाएगा, अर्थात्:-

'स्पष्टीकरण।—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक उद्देश्य" में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।

/

30. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा, विधायिका ने स्पष्ट रूप से प्रावधान किया कि एक व्यक्ति, जो किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है, वह 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के दायरे से बाहर होगा। स्पष्टीकरण, जो एक अपवाद के लिए एक अपवाद है, जिसमें पहले किसी व्यक्ति को 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द से बाहर रखा गया था, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से सामान खरीदा गया था, तो इसे प्रतिस्थापित किया गया था और स्पष्टीकरण दोनों खंडों (i) और (ii) पर लागू किया गया था। यह हो सकता है।

/

/

960

/

[2022] 5 एस सी आर।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा, हालांकि विधायिका ने प्रावधान किया है कि जब भी कोई व्यक्ति वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सेवाओं का लाभ उठाता है, तो वह उपभोक्ता नहीं होगा; इसने आगे स्पष्ट किया कि 'वाणिज्यिक उद्देश्य' में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गए और उपयोग किए गए सामान का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।31. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2002 के संशोधन अधिनियम द्वारा विधायिका ने दो काम किए हैं।सबसे पहले, इसने वाणिज्यिक लेन-देन को, जहां तक सेवाओं का संबंध है, 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर रखा है और इसे धारा 2 (1) (डी) (आई) के साथ समानता में लाया है, जिसमें एक व्यक्ति, जिसने पुनर्विक्रय या किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तुओं को खरीदा था, पहले से ही 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर था।दूसरी बात जो विधायिका ने की वह

यह थी कि भले ही कोई व्यक्ति वाणिज्यिक सेवाओं का लाभ उठाता हो, यदि उसके द्वारा ली जाने वाली सेवाएं केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से थीं, तो भी वह उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए एक 'उपभोक्ता' होगा। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाता था, उसे 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द से बाहर रखा जाता था और उसे समान परिस्थिति वाले व्यक्ति के बराबर लाकर 'उपभोक्ता' के दायरे में लाया जाता था, जिसने विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से सामान खरीदा और उसका उपयोग किया।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विधायिका का इरादा स्पष्ट है।यदि कोई व्यक्ति वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए माल खरीदता है या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं का लाभ उठाता है, हालांकि सामान्य रूप से, वह स्पष्टीकरण के आधार पर 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे से बाहर होता है, जो अब दोनों धाराओं 2 (1) (डी) (आई) और 2 (1) (डी) (आई) के लिए सामान्य है, तो भी वह 'उपभोक्ता' शब्द के दायरे में आता है, यदि ऐसी वस्तुओं की खरीद या ऐसी सेवाओं का लाभ उठाना विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए था।इस विधायी इतिहास की पृष्ठभूमि में, हमें वर्तमान मामले पर विचार करना होगा।

/

/

/

/

/

32. उक्त अधिनियम के उद्देश्य का संक्षेप में वर्णन किया गया है -

लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम के मामले में यह न्यायालय । पी. एस. जी. औद्योगिक संस्थान 6, जो इस प्रकार हैः

/

“10. अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा से पता चलता है कि अधिनियम द्वारा बनाए गए अर्ध-न्यायिक निकायों/प्राधिकरणों/एजेंसियों को जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है

/

6 (1995) 3 एससीसी 583 ए

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ये न्यायालय ें नहीं हैं, हालांकि इनमें दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियां निहित हैं।वे अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जिन्हें उपभोक्ताओं को सस्ता और त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए अस्तित्व में लाया गया है।यह भी उतना ही स्पष्ट है कि इन मंचों/आयोगों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था, बल्कि मौजूदा न्यायिक प्रणाली का पूरक होना चाहिए था।इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का सस्ता और त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करना था।इस प्रकार बनाया गया मंच न्यायालय शुल्क की आवश्यकता या न्यायालय की औपचारिक प्रक्रियाओं से बाधित नहीं है।कोई भी उपभोक्ता जाकर शिकायत दर्ज करा सकता है।शिकायत अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं दायर करने की आवश्यकता नहीं है; कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ उसके कारण का समर्थन कर सकता है।जहाँ बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की इसी तरह की शिकायत है, वहाँ एक या एक से अधिक सभी की ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।यहां तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी उनकी ओर से काम कर सकती हैं।इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बड़े व्यापारिक और विनिर्माण निकायों के प्रभुत्व वाले बाजार में उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मामले में न्याय और उचित व्यवहार प्राप्त करने में मदद करना था।वास्तव में, पूरा अधिनियम उपभोक्ता के इर्द-गिर्द घूमता है और उसके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।अधिनियम "व्यवसाय-से-उपभोक्ता" विवादों के लिए प्रावधान करता है न कि "व्यवसाय-से-व्यवसाय" विवादों के लिए।अधिनियम की यह योजना, हमारी राय में, इस अपील में विचार के लिए आने वाले शब्दों के लिए प्रासंगिक है और उनकी व्याख्या करने में मदद करती है। "

/

/

/

/

33. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त अधिनियम को लागू करने का विचार उपभोक्ताओं को बड़े व्यापारिक और विनिर्माण निकायों के प्रभुत्व वाले बाजार में उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मामले में न्याय और उचित व्यवहार प्राप्त करने में मदद करना था।यह माना गया है कि पूरा अधिनियम उपभोक्ता के इर्द-गिर्द घूमता है और उसके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।यह "व्यवसाय-से-उपभोक्ता" विवादों के लिए प्रावधान करता है न कि "व्यवसाय-से-व्यवसाय" विवादों के लिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए मंचों/आयोगों को प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मौजूदा न्यायिक प्रणाली का पूरक होना चाहिए।इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच उत्पन्न

होने वाले विवादों का सस्ता और त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त मंच प्रदान करना था।

/

/

34. लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय ,

उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (आई) और 1993 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए स्पष्टीकरण के संबंध में 'उपभोक्ता' अभिव्यक्ति की परिभाषा के दायरे पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा गया हैः

/

“11. अब धारा 2 (घ) में 'उपभोक्ता' की परिभाषा पर वापस आते हुए, एक उपभोक्ता का अर्थ है जहां तक इस अपील के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, (i) एक व्यक्ति जो विचार के लिए कोई वस्तु खरीदता है; यह मायने नहीं रखता है कि क्या प्रतिफल का भुगतान किया गया है या वादा किया गया है, या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या क्या प्रतिफल का भुगतान स्थगित किया गया है; (ii) एक व्यक्ति जो उस व्यक्ति की मंजूरी से ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है जो विचार के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है; (iii) लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ऐसी वस्तु खरीदता है।'पुनर्विक्रय' अभिव्यक्ति काफी स्पष्ट है।हालाँकि, विवाद है,

/

"वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अर्थ के संबंध में उत्पन्न हुआ।इसे अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषा के अभाव में, हमें इसके सामान्य अर्थ के अनुसार चलना होगा।‘वाणिज्यिक 'वाणिज्य से संबंधित' को दर्शाता है (चैंबर का बीसवीं शताब्दी का शब्दकोश); इसका अर्थ है "वाणिज्य से जुड़ा हुआ, या उसमें संलग्न; व्यापारिक; मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ होना" (कॉलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश) जबकि 'वाणिज्य' शब्द का अर्थ है "वित्तीय लेनदेन विशेष रूप से बड़े पैमाने पर माल की खरीद और बिक्री" (संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड)।

/

/

शब्दकोश)।ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग एक सुसंगत दृष्टिकोण रखता रहा है कि जहां कोई व्यक्ति "लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को करने के लिए इस तरह के सामान का उपयोग करने की दृष्टि से" सामान खरीदता है, वह अधिनियम की धारा 2 (डी) (आई) के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' नहीं होगा। मोटे तौर पर उक्त दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए और विशेष रूप से किसी भी भ्रम को दूर करने की दृष्टि से- अभिव्यक्ति "बड़े पैमाने पर" एक नहीं है

/

बहुत सटीक अभिव्यक्ति-संसद ने कदम उठाया और अध्यादेश/संशोधन अधिनियम**, 1993** द्वारा धारा **2 (**डी**) (**आई**)** में स्पष्टीकरण जोड़ा।व्याख्या कुछ उद्देश्यों को **"**वाणिज्यिक उद्देश्य**"** अभिव्यक्ति के दायरे से बाहर करती है-एक अपवाद के अपवाद का मामला।आइए विस्तार से बताते हैं:एक व्यक्ति

/

जो टाइपराइटर या कार खरीदता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग करता है, वह निश्चित रूप से एक उपभोक्ता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के काम को विचार के लिए टाइप करने या कार को टैक्सी के रूप में चलाने के लिए टाइपराइटर या कार खरीदता है, उसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए टाइपराइटर/कार का उपयोग करने वाला कहा जा सकता है।हालांकि स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि कुछ स्थितियों में, "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए वस्तुओं की खरीद अभी तक खरीदार को अभिव्यक्ति की परिभाषा से बाहर नहीं ले जाएगी।

/

‘उपभोक्ता '।यदि वाणिज्यिक उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं किया जाता है

/

963

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक [बी. आर. गवई, जे.] ए.

स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से**,** वस्तुओं का ऐसा खरीदार अभी भी एक 'उपभोक्ता' है।में

ऊपर दिए गए उदाहरण में, यदि खरीदार स्वयं टाइपराइटर पर काम करता है या कार को स्वयं टैक्सी के रूप में चलाता है, तो वह उपभोक्ता बनना बंद नहीं करता है।दूसरे शब्दों में, यदि माल का खरीदार अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वयं, यानी स्व-रोजगार द्वारा,

उनका उपयोग करता है, तो इसे "वाणिज्यिक उद्देश्य" के रूप में नहीं माना जाएगा और वह अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उपभोक्ता नहीं रहेगा। इसका स्पष्टीकरण

/

प्रत्येक मामले के तथ्यों में तय किए जाने वाले तथ्य के प्रश्न के लिए "वाणिज्यिक उद्देश्य" क्या है, इस प्रश्न को कम कर देता है।यह महत्वपूर्ण नहीं है कि माल का मूल्य क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि खरीदे गए माल का उद्देश्य क्या है।व्याख्या में प्रयुक्त कई शब्द, अर्थात।, “"विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" संसद के इरादे को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि खरीदे गए सामान का उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, कमाई के लिए खुद को नियुक्त करके।

/

/

उसकी आजीविका।हम जो कहते हैं उस पर जोर देने के लिए कुछ और चित्र काम करेंगे।एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किराए पर लेने के लिए ऑटो-रिक्शा खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा।इसी तरह, एक ट्रक का खरीदार जो इसे सार्वजनिक वाहक के रूप में चलाने के लिए खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा।एक व्यक्ति जो अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को संचालित करने के लिए खराद मशीन या अन्य मशीन खरीदता है, वह उपभोक्ता होगा।(उपरोक्त दृष्टांतों में, यदि ऐसा खरीदार वाहन या मशीनरी के संचालन में उसकी सहायता करने के लिए एक या दो व्यक्तियों की सहायता लेता है, तो वह उपभोक्ता बनना बंद नहीं करता है।) इसके विपरीत एक व्यक्ति जो एक ऑटो-रिक्शा, एक कार या खराद मशीन या अन्य मशीन खरीदता है जिसे विशेष रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया या संचालित किया जाता है।

/

/

उपभोक्ता नहीं होगा।यह स्पष्टीकरण में "उनके द्वारा उपयोग किए गए" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" अभिव्यक्तियों से बहने वाली आवश्यक सीमा है।"अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता को शब्दों के अन्य दो समूहों द्वारा समझाया और स्पष्ट किया जाता है। "

/

[जोर दिया गया]

35. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग एक सुसंगत दृष्टिकोण ले रहा था कि जहां कोई व्यक्ति खरीदारी करता है।

माल "लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को चलाने के लिए ऐसे माल का उपयोग करने की दृष्टि से" वह अधिनियम की धारा 2 (डी) (आई) के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' नहीं होगा। इस न्यायालय ने कहा कि किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए कि "बड़े पैमाने पर" अभिव्यक्ति एक बहुत सटीक अभिव्यक्ति नहीं थी, संसद ने कदम उठाया और अध्यादेश/संशोधन अधिनियम, 1993 द्वारा धारा 2 (डी) (आई) में स्पष्टीकरण जोड़ा। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्पष्टीकरण "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के दायरे से कुछ उद्देश्यों को बाहर करता है।इस न्यायालय द्वारा विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं कि 'स्व-रोजगार' की अवधि के भीतर क्या आएगा।

/

36. एक उदाहरण दिया गया है कि एक व्यक्ति जो टाइपराइटर खरीदता है और खुद टाइपराइटर पर काम करता है, वह खरीद स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से होगी और वह उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'उपभोक्ता' नहीं रहेगा। एक अन्य उदाहरण दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए किराए पर ऑटो रिक्शा खरीदता है, तो वह उपभोक्ता भी होगा।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या लेन-देन 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए है या 'स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने' के लिए है, तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों में किया जाना चाहिए।यह माना गया है कि यह माल का मूल्य नहीं है जो मायने रखता है, बल्कि यह है कि इस तरह से खरीदे गए माल का उद्देश्य क्या है।यह माना गया है कि स्पष्टीकरण में कई शब्दों का उपयोग किया गया है, अर्थात।, “"विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" संसद के इरादे को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि खरीदे गए सामान का उपयोग खरीदार द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए किया जाना चाहिए।

/

/

/

37. चीमा इंजीनियरिंग सर्विसेज बनाम राजन के मामले में।

/

सिंह 7, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यावसायिक तरीके से ईंटों का निर्माण और बिक्री भी आजीविका कमाने के लिए हो सकती है।इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या शिकायतकर्ता ने ईंटों के निर्माण के लिए अकेले या अपने परिवार के सदस्यों के साथ मशीनरी का उपयोग किया और क्या वह अपनी आजीविका कमाने के लिए था, तथ्य के प्रश्न थे जो सबूतों के आधार पर तय किए जाने थे।

/

38. कल्पवृक्ष धर्मार्थ न्यास बनाम के मामले में। तोशनीवाल ब्रदर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 8, इस न्यायालय ने विचार किया

प्रश्न यह है कि क्या चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई मशीनें

7 (1997) 1 एससीसी 131 8 (2000) 1 एससीसी 512 ए

/

नैदानिक केंद्र में उपयोग के लिए 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए थे या नहीं।न्यास की ओर से यह आग्रह किया गया कि न्यास लाभ कमाने की गतिविधि नहीं कर रहा है और इस प्रकार नैदानिक मशीनों की खरीद 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द के दायरे में नहीं आएगी।इसलिए यह आग्रह किया गया कि यह 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रीय आयोग का यह निष्कर्ष कि मशीनरी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए स्थापित की गई थी और इस प्रकार, ट्रस्ट उक्त अधिनियम के अर्थ के भीतर एक 'उपभोक्ता' नहीं था, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

39. पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब (उपरोक्त) के मामले में, यह

न्यायालय बेरोजगार स्नातकों के मामले पर विचार कर रही थी, जिन्होंने स्व-रोजगार और अपनी आजीविका के लिए साझेदारी में फोटोग्राफी का व्यवसाय शुरू किया था।उक्त उद्देश्य के लिए, उन्होंने एक उन्नत फोटो प्रोसेसिंग, विकास और मुद्रण मशीन खरीदी थी।यह अपीलार्थियों का मामला था कि उत्तरदाताओं को यह जानकारी होने के बावजूद कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी, उन्होंने इसे अनुचित तरीके से और लापरवाही से अपीलार्थियों को बेच दिया था।इस प्रकार, अपीलार्थियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता थी। राज्य आयोग ने शिकायत को अनुज्ञात कर लिया था।अपील में, राष्ट्रीय

आयोग ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता उपभोक्ता नहीं थे जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत परिकल्पित है, क्योंकि मशीन की खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थी।राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को उलटते हुए और राज्य आयोग द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः“12. इस मामले में, चूंकि अपीलकर्ताओं ने मशीन खरीदी है, इसलिए अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) लागू होती है।“अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अंतर्गत परिभाषित उपभोक्ता में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो "वाणिज्यिक उद्देश्य" के लिए माल प्राप्त करता है।धारा 2 (1) (डी) को दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से "स्व-रोजगार" के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं।यदि इन दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाए, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि विशेष रूप से "स्व-रोजगार" के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से माल खरीदा है, तो ऐसा खरीदार "उपभोक्ता" की परिभाषा के भीतर आएगा।यदि कोई व्यक्ति "व्यावसायिक उद्देश्य" के लिए माल खरीदता है न कि "स्व-रोजगार" के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से, तो ऐसा है -

/

/

/

/

/

/

966

/

[2022] 5 एस सी आर।

खरीदार "उपभोक्ता" की परिभाषा के भीतर नहीं आएगा।इसलिए यह स्पष्ट है कि "वाणिज्यिक गतिविधि" के बावजूद, क्या कोई व्यक्ति "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे में आएगा या नहीं, यह हर मामले में तथ्य का प्रश्न होगा।तथ्य के ऐसे प्रश्न का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

13. ”स्व-रोजगार में अनिवार्य रूप से स्वयं के लिए कमाई शामिल है।आम तौर पर कमाई के बिना "स्व-रोजगार" नहीं हो सकता है।इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से "स्व-रोजगार" के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से मशीन खरीदता है और उसका उपयोग करता है, तो वह निश्चित रूप से "उपभोक्ता" की परिभाषा के भीतर आता है।हाथ के मामले में, मशीन के उपयोगकर्ता द्वारा अंतिम उत्पादन की गुणवत्ता मशीन का उपयोग करने वाले व्यक्ति के कौशल पर निर्भर करेगी।आवश्यकता के मामले में, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मशीन चलाने के लिए प्रशिक्षित करता है ताकि फोटोग्राफी और विकास के मामले में कौशल और प्रयास के आधार पर अंतिम उत्पाद का उत्पादन किया जा सके, तो वह ऐसे व्यक्ति को "उपभोक्ता" की परिभाषा से बाहर नहीं कर सकता है। "

/

/

/

40. इस न्यायालय ने उक्त मामले के तथ्यों पर पाया कि उसमें अपीलकर्ता बेरोजगार स्नातक थे और उन्होंने उक्त मशीन को अपनी उपयोगिता, व्यक्तिगत संचालन और अपने छोटे उद्यम के लिए खरीदा था, जिसे उन्होंने आजीविका बनाने के लिए शुरू किया था।इस न्यायालय ने आगे पाया कि यह भारी लाभ के लिए किए गए बड़े पैमाने पर विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधि से अलग था।अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें अपीलकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर उपभोक्ता होंगे।

/

41. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर पूरा भरोसा किया

/

लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट (ऊपर), जिसमें यह न्यायालय

पहले दिए गए निर्णयों पर विचार करने के बादः“19. उपरोक्त चर्चा से संक्षेप में, हालांकि हर मामले में एक स्ट्रेट जैकेट सूत्र को अपनाया नहीं जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को निकाला जा सकता है कि क्या कोई गतिविधि या लेनदेन "वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" हैः

/

19.1.यह प्रश्न कि क्या कोई लेन-देन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालांकि, आम तौर पर, "वाणिज्यिक उद्देश्य" को

वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यापार-से-व्यवसाय लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है।

/

967

श्रीकांत जी. मंत्री बनाम पंजाब नेशनल बैंक [बी. आर. गवई, जे.] ए.

/

19.2.वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए।

19.3.खरीदारी करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेन-देन का मूल्य इस प्रश्न के लिए निर्णायक नहीं है कि क्या यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है।यह देखना होगा कि क्या लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था।

/

19.4.यदि यह पाया जाता है कि वस्तु या सेवा खरीदने के पीछे प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए था, या अन्यथा किसी वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, तो इस प्रश्न पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद "स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका पैदा करने" के उद्देश्य से थी। "

/

42. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह प्रश्न कि क्या कोई लेन-देन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालांकि, आम तौर पर, "वाणिज्यिक उद्देश्य" को वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यापार-से-व्यवसाय लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है; कि वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए; कि खरीद करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेनदेन का मूल्य इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए निर्णायक नहीं है कि यह वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं।जो प्रासंगिक है वह लेन-देन के लिए प्रमुख इरादा या प्रमुख उद्देश्य है और क्या वह खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था।यह भी माना गया है कि यदि वस्तु या सेवा खरीदने के पीछे प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए था, या अन्यथा किसी वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, तो इस प्रश्न पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद "स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका पैदा करने" के उद्देश्य से की गई थी।

/

/

/

/

43. तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उसमें अपीलार्थी द्वारा फ्लैटों की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था।फ्लैट अस्पताल के भीतर किसी भी चिकित्सा/नैदानिक सुविधा के लिए नहीं थे, बल्कि अस्पताल द्वारा नियुक्त नर्सों को समायोजित करने के लिए थे।यह भी माना गया कि फ्लैट नर्सों को प्रदान किए जा रहे हैं

/

बिना किसी किराए के और यह कि उसमें अपीलार्थी फ्लैटों पर कब्जा करने या फ्लैटों की खरीद-बिक्री में संलग्न होने से कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं कर रहा था।

44. जहां तक अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए सुनील कोहली (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, इस न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से पाया कि शिकायतकर्ता डेनमार्क में संपत्ति का निपटान करना चाहते थे और व्यवसाय शुरू करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे।यह भी पाया गया है कि इस उद्देश्य के लिए, प्रश्न परिसर को बुक किया गया था।इस प्रकार, उक्त मामला एक ऐसा मामला था जिसमें वाणिज्यिक परिसरों पर अपीलकर्ताओं द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने डेनमार्क में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के उद्देश्य से परिसर खरीदा था।इसलिए, उक्त मामला एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के लिए सेवाओं का लाभ उठाया था।

/

/

45. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी सेवा का लाभ उठाता है, तो उसे उक्त अधिनियम में परिभाषित 'उपभोक्ता' के अर्थ के

भीतर आने के लिए यह स्थापित करना होगा कि सेवाओं का लाभ विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए लिया गया था।कोई स्ट्रैटजैकेट सूत्र नहीं हो सकता है और इस तरह के प्रश्न का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों में किया जाना चाहिए, जो रिकॉर्ड में रखे गए साक्ष्य पर निर्भर करता है।

/

/

46. वर्तमान मामले में, यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता पहले से ही स्टॉक-ब्रोकर के पेशे में लगा हुआ था, इससे बहुत पहले कि वह प्रतिवादी-बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा की सेवा का लाभ उठाता।यह भी विवाद में नहीं है कि वह प्रतिवादी-बैंक के लिए एक स्टॉक-ब्रोकर के रूप में भी काम कर रहा था।यह भी विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी ने ओवरड्राफ्ट सुविधा ली और स्टॉक-ब्रोकर के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उसमें लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से समय-समय पर इसे बढ़ाने की भी मांग की।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स (उपरोक्त) के मामले में पहले ही कहा जा चुका है, "विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" "उनके द्वारा प्राप्त सेवाओं" "शब्दों को इसका अर्थ देना होगा, जैसा कि विधायिका द्वारा इरादा किया गया है।उक्त शर्तों को उस उद्देश्य के संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसके लिए उक्त अधिनियम अधिनियमित किया गया है।हमने विधायी इतिहास पर विस्तार से चर्चा की है कि कैसे उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) अपने वर्तमान रूप में मूल रूप से आई है।1993 के संशोधन अधिनियम और 2002 ए द्वारा शामिल किए गए संशोधन

/

/

/

संशोधन अधिनियम स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि विधायी इरादा वाणिज्यिक लेनदेन को उक्त अधिनियम के दायरे से बाहर रखना है और साथ ही, उक्त अधिनियम का लाभ उस व्यक्ति को देना है जो इस तरह के वाणिज्यिक लेनदेन में प्रवेश करता है, जब वह ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता है या ऐसी सेवाओं का लाभ केवल स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए लेता है।

/

47. वर्तमान मामले में, आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बैंक में खाता खोला था, अपने व्यावसायिक लाभ का विस्तार करने के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा ली थी और बाद में समय-समय पर ओवरड्राफ्ट सुविधा को बढ़ाया गया था ताकि उसके व्यवसाय का और विस्तार किया जा सके और उसका लाभ बढ़ाया जा सके।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच संबंध विशुद्ध रूप से "व्यवसाय से व्यवसाय" संबंध है।इस प्रकार, लेन-देन स्पष्ट रूप से 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के दायरे में आएंगे।यह नहीं कहा जा सकता है कि सेवाओं का लाभ "विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" "स्व-रोजगार के माध्यम से" लिया गया था।यदि अपीलार्थी द्वारा दी जाने वाली व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो 'व्यापार से व्यवसाय' विवादों को भी उपभोक्ता विवादों के रूप में समझना होगा, जिससे उपभोक्ता विवादों को त्वरित और सरल निवारण प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा।

/

/

48. इसलिए हम आयोग के निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।किसी भी मामले में, आयोग ने पहले ही अपीलार्थी को अधिकार क्षेत्र वाले उपयुक्त मंच से संपर्क करके अपने उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है।

/

49. नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

/

/

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

/

/